रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED NO. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 1980/आश्विन 22, 1902
No. 193] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 1980/ASVINA 22, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 39-आई टी सी (पी एन)/80

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1980

विषय : अप्रैल, 1980--मार्च, 1981 के लिए आयात नीति—विदेशी क्रेता द्वारा संभरित किए गए स्वर्ण के मद्दे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए योजना ।

फा०सं० 12/4/78-ई०पी०सी० (वाल्यूम II).—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 9-आई टी सी (पी एन)/80, दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1980--मार्च, 1981 की आयात-नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. उक्त आयात-नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जायेंगे :—

क्रम सं०	आयात-नीति 1980-81 की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	32	अध्याय 17 पंजीकृत निर्यातक पैरा 161	वर्तमान पैरा 161 को उप-पैरा 161 (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और उसके बाद निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा:— (2) "विदेशी क्रेता द्वारा संभरित स्वर्ण के मद्दे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए योजना" पुकारी जाने वाली एक नई योजना अधिसूचित की गई है देखिये सार्वजनिक सूचना सं० 39 आई टी सी (पी एन)/80, दिनांक 14-10-1980 योजना का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट 31 में दिया गया है" ।
2	207	परिशिष्ट 30	परिशिष्ट 30 के बाद एक नया परिशिष्ट 31 इस सार्वजनिक सूचना के अनुबंध के अनुसार जोड़ा जाएगा ।

3. यह सार्वजनिक सूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी ।

मणि, नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक

सार्वजनिक सूचना सं० 39-आई टी सी (पी एन)/80, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980 का अनुबन्ध

परिशिष्ट–31

विषय : 5 विदेशी क्रेता द्वारा संभरित स्वर्ण के मद्दे स्वर्ण ग्राभूषणों के निर्यात के लिए योजना।

जैसा कि स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में परिभाषित है इस योजना के अन्तर्गत केवल स्वर्ण ग्राभूषणों और वस्तुओं (सिक्कों से भिन्न) के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। जड़ित रूप में ऐसे ग्राभूषणों और वस्तुओं के निर्यात की अनुमति भी इस योजना के अन्तर्गत दी जाएगी। निर्यात के लिए मदें 0.5833 शुद्धता के स्वर्ण से बनी हुई नहीं होनी चाहिए जो 14 कैरेट के समरूप है।

2. यह योजना भारत के हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि०, नई दिल्ली द्वारा या तो सीधे ही या अपने पात्र सहयोगियों के माध्यम से प्राप्त किए गए निर्यात आदेशों के लिए लागू होगी।

3. केवल स्वर्ण नियंत्रण कानून के अधीन वैध व्यापारी लाइसेंसधारी व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को ही इस योजना के उद्देश्य के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम के पात्र सहयोगियों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

(1) रत्न व ग्राभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी किए गए वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाले पंजीकृत निर्यातक;

(2) प्रमाणित स्वर्णकारों की सहकारी समितियां;

(3) मुख्य नियंत्रक, ग्रायात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्यात सदन प्रमाणपत्रों के धारक निगम जो सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित हों।

4. रत्न व ग्राभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् भारतीय मानक संस्थान की हाल मार्किंग स्कीम के अन्तर्गत अपने पंजीकृत निर्यातकों के पहचान चिह्न, यदि कोई होंगे तो उनके ब्यौरे रखेगी। लेकिन अगले ग्रादेश जारी होने तक हाल मार्किंग स्कीम का अनुसरण करना उनके पंजीकृत निर्यातकों के लिए बाध्यकर नहीं होगा।

5. योजना का क्षेत्र : इस योजना में निर्यात की जाने वाली मदों के विनिर्माण में उपयोग होने वाली शुद्ध सोने की मात्रा तक सम्बद्ध विदेशी क्रेताओं द्वारा अग्रिम में निःशुल्क संभरण किए गए सोने के मद्दे सोने के ग्राभूषण और वस्तुओं के निर्यात के लिए व्यवस्था है। इसलिए निर्यात ग्रादेशों में अपेक्षित सीमा तक विदेशी क्रेताओं द्वारा सोने के संभरण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा सोना किसी भी प्रकार ग्राभूषण या वस्तुओं के निर्यात की स्वीकृति देने से पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्यात ग्रादेशों में विनिर्माण और सम्मिलित अन्य मूल्य के भुगतान के लिए या तो अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से या सुपुर्दगी के आधार पर नकद भुगतान या प्राधिकृत व्यापारी (बैंक) द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। दस्तावेजों पर समझौता केवल विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से ही होना चाहिए। निर्यात ग्रादेश केवल एक समुद्र पार क्रेता से सम्बन्धित होना चाहिए चाहे उसमें निर्यात की एक से अधिक मदें क्यों न शामिल हों।

6. इस योजना के अधीन किए गए निर्यातों के सबन्ध में शुद्ध सोने की वस्तु के मूल्य पर कम से कम 15% और मूल्य जोड़ा जाएगा। जोड़े गए मूल्य की गणना प्रत्येक मास के शुरू में भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित कीमत पर निर्यातित मदों में शुद्ध सोने की वस्तु के मूल्य के संबन्ध में की जाएगी उदाहरणार्थ, यदि निर्यात की जाने वाली मद का जहाज पर निःशुल्क मूल्य 100 रुपये है तो अधिसूचित कीमत पर गणना किए गए शुद्ध सोने का मूल्य 87 रुपये या इससे कम होना चाहिए। जड़ित मदों के मामले में सोने और अन्य मदों का कुल मूल्य अर्थात् पत्थर, रत्न, मोती और अन्य बहुमूल्य धातु यदि कोई हो जिसका उपयोग निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में किया जाता है 87 रुपये होना चाहिए।

7. इस योजना के अधीन किए गए निर्यात किसी भी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

8. भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लि०, नई दिल्ली को इस योजना के संचालन के लिए प्राधिकारी सामाकित किया गया है। ऐसे निर्यात ग्रादेश जिनके मद्दे निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी, वे होंगे जो इस अभिकरण द्वारा सीधे प्राप्त किए जाते हों या उनके पात्र सहयोगियों द्वारा प्राप्त किए जाते हों।

योजना के अधीन सोने का आयात

9. केवल उक्त अभिकरण अर्थात् भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० द्वारा या उनकी ओर से जहां निर्यात ग्रादेश उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हों, या उनके पात्र सहयोगियों की ओर से जहां निर्यात ग्रादेश ऐसे निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए गए हों द्वारा आयातित सोने की निकासी की स्वीकृति सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। बाद वाले के मामले में निर्यातक को भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० को प्रविष्टि बिल दाखिल करने के लिए और सीमा शुल्क से आयातित माल की निकासी के लिए और साथ ही साथ सीमा-शुल्क के माध्यम से अनुवर्ती निर्यातों को प्रभावी करने के लिए और सम्बद्ध जहाजरानी बिल दाखिल करने के लिए भी एक अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत करना होगा।

10. इस योजनाके अधीन शुद्ध सोने के आयात की अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा नामित अभिकरण अर्थात् हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा योजना के उद्देश्य के लिए जारी किए गए सामान्य या विशिष्ट छूट ग्रादेश के आधार पर दी जाएगी। आयातित सोने के प्रत्येक परेषण के सबन्ध में निकासी करने से पहले हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को यह वचन देते हुए एक बान्ड निष्पादित करेगा कि संविदा में निर्धारित अवधि के भीतर या मुख्य नियंत्रक ग्रायात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा अनुमति समय के भीतर वह सोने के तैयार ग्राभूषणों या वस्तुओं में लगे आयातित सोने की पूर्ण मात्रा के बराबर सोने का निर्यात करेगा और जो मात्रा निर्यात न की गई सिद्ध हो जाएगी उस मात्रा पर उगाही जाने योग्य सीमा-शुल्क चुकाएगा। हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के पात्र सदस्यों द्वारा प्राप्त निर्यात ग्रादेशों के मामले में उनके द्वारा संविदा के आधारों का अनुपालन किया गया है इस बात का सुनिश्चय करने के लिए उनसे समरूप अलग गारंटियां प्राप्त करने का दायित्व हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम का होगा।

11. भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० को आयातित सोना बम्बई या कलकत्ता में भारत सरकार की टकसाल में या उस दिन जमा करना पड़ेगा जिस दिन सीमा-शुल्क के माध्यम से सोने की निकासी की गई हो या अधिक से अधिक उससे अगले दिन और इस संबन्ध में वह टकसाल प्राधिकारियों से उचित रसीद प्राप्त करेगा। चूंकि टकसाल की सुविधाएं केवल बम्बई और कलकत्ता में उपलब्ध हैं इसलिए इस योजना के अधीन सोना आयात करने की अनुमति केवल इन दो स्थानों पर दी जानी चाहिए। आयातित सोना टकसाल द्वारा .995 शुद्धता की मानक छड़ों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती निर्यात टकसाल की रसीद के आधार पर उनकी इस संतुष्टि के बाद स्वीकृत किया जाएगा कि निर्यात की जाने वाली मदों के विनिर्माण में प्रयुक्त सोने की अपेक्षित मात्रा भारत सरकार की टकसाल द्वारा प्राप्त की गई थी।

इस योजना के अन्तर्गत स्वर्ण आभूषण आदि का निर्यात

12. इस योजना के अन्तर्गत निर्यातित वस्तुएं घरेलू बाजार में उपलब्ध स्वर्ण की बनी हुई होंगी। निर्यात करने और निर्यातित मदों में सोने की मात्रा सत्यापित करने के पश्चात् हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० इस सार्वजनिक सूचना में अलग से दर्शाई गई विधि के अनुसार निर्यातित मदों में इस्तेमाल किए गए सोने की प्रतिपूर्ति के लिए सोने की अपेक्षित मात्रा टकसाल से प्राप्त करेगा।

13. इस योजना के अंतर्गत निर्यात, केवल वायुयान द्वारा सीमा-शुल्क सदन बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के माध्यम से ही अनुमेय होगा।

14. जहां तक निर्यात आदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० द्वारा सीधे ही उसके नाम में प्राप्त होता है तो सम्बद्ध निर्यातों के लिए पोतलदान बिल सीमा-शुल्क विनियमों के अंतर्गत तथा अपेक्षित हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात लि० द्वारा अपने स्वयं के नाम में ही दाखिल किया जाएगा। उन मामलों में जहां पर निर्यात आदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० के पक्ष सहयोगियों के माध्यम से प्राप्त होता है, तो सम्बद्ध निर्यातों के लिए पोतलदान बिल संबंधित सहयोगियों के लेख में जिसका नाम और पता पोतलदान बिल में भी दर्शाया जाएगा, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० के नाम से दाखिल होगा। ऐसे पोतलदान बिल हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० द्वारा यह प्रमाणित करते हुए पृष्ठांकित किए जाएंगे कि निर्यात संबंधित सहयोगियों द्वारा प्राप्त आदेश के मद्दे किया गया है और हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० के पास पंजीकरण की तारीख दर्शाते हुए पंजीकृत किया गया है और निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए विषयक स्वर्ण विदेशी क्रेता से प्राप्त किया गया था और भारत सरकार टकसाल में इस तिथि (जो कि बाद में निर्धारित की जाएगी) को जमा करा दिया था। पृष्ठांकन करने से पहले निर्यातित मदों के विनिर्माण में उपयोग की गई स्वर्ण की मात्रा और जोड़े गए न्यूनतम निर्धारित मूल्य के संबंध में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० को स्वयं संतुष्टि करनी होगी। ऐसे पृष्ठांकन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० के केवल उन नामांकित अधिकारियों द्वारा ही किए जाएं जिनके हस्ताक्षर जांच पड़ताल के लिए सीमा सदनों को भेजे जाएंगे।

15. अन्य बातों के साथ-साथ पोतलदान बिल में निर्यात की जाने वाली प्रत्येक मद में उपयोग किए गए सोने के भार एवं शुद्धता और निर्यात की जाने वाली मदों के जहाज पर निःशुल्क मूल्य, उस सीमा-शुल्क सदन का नाम जिसके माध्यम से अनुरूप सोने का आयात प्रभावी किया गया था, प्रविष्टि बिल और विदेशी पार्टी द्वारा संभरण किए गए सोने की निकासी तारीख के बारे में निर्यातक की घोषणा होनी चाहिए। पोतलदान बिल की एक अतिरिक्त प्रति भी भेजी जानी चाहिए। लेकिन उन मामलों में जहां पोतलदान एक ऐसे सीमा-शुल्क कार्यालय के माध्यम से किया जाता है जो उस सीमा-शुल्क कार्यालय से भिन्न है जिसके माध्यम से अनुरूप सोने का आयात प्रभावी किया गया था तो लदान बिल की दो अतिरिक्त प्रतियां सीमा-शुल्क कार्यालय द्वारा भेजे जाने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए और यह भी तय किया जाएगा जब कि उस सीमा-शुल्क कार्यालय के माध्यम से पोतलदान हो जाए जिसके माध्यम से अनुरूप आयात किया गया था। यह बांड को रद्द करने के समय संदर्भ हेतु होगा। जटिल मदों के सम्बन्ध में पोतलदान बिल में उपर्युक्त सोने की मात्रा के साथ-साथ उनके विनिर्माण में उपयोग में लाए गए पत्थरों/रत्नों/मोतियों का विवरण/भार/मूल्य और इसके साथ-साथ सोने में जोड़ मिलाने के लिए उपयोग में लाई गई किसी अन्य कीमती धातु का भार/मूल्य भी दर्शाया जाना चाहिए।

16. इस प्रकार पृष्ठांकित प्रत्येक पोतलदान बिल उस सीमा शुल्क सदन के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए ही वैध होगा जहां पर हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० का कार्यालय स्थित है और जिसने यह पृष्ठांकन किया है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० द्वारा पृष्ठांकित तिथि से सात दिनों की अवधि के लिए पोतलदान के लिए यह वैध होगा लेकिन इसके अन्तर्गत पृष्ठांकन की तिथि शामिल नहीं होगी। यदि निर्यात इस अवधि के अन्तर्गत नहीं किए जा सकते हों तो निर्यातक एक नया पोतलदान बिल दाखिल करेगा। किसी भी पोतलदान बिल के सम्बन्ध में पोतलदान की अवधि में कोई भी वृद्धि अनुमेय नहीं होगी।

17 निर्यात के समय, निर्यातक पोतलदान बिल के साथ-साथ सम्बन्धित बीजकों की तीन प्रतियां और सीमा-शुल्क द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज सम्बन्धित सीमा-शुल्क प्राधिकारी को भेजेगा। निर्यात की अनुमति से पूर्व अन्य बातों के साथ-साथ उक्त प्राधिकारी :—

(1) उपयुक्त दस्तावेजों में निर्यातक की घोषणा के अनुसार निर्यात के लिए प्रत्येक मद में उपयोग किए गए सोने का भार एवं शुद्धता की परीक्षण के लिए आवश्यक जांच-पड़ताल करेगा, और

(2) स्वयं इस बात की संतुष्टि करेगा कि निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात मूल्य (सोने के मूल्य को घटा कर) सीमा-शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार है।

18. निर्यात के लिए इस प्रकार स्वीकृत सोने वाली मद का भार और उसकी शुद्धता-सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सम्बद्ध पोत परिवहन बिल पर सत्यापित की जाएगी। सीमा-शुल्क प्राधिकारी सम्बन्धित बीजक भी साक्ष्यांकित करेंगे और सम्बन्धित बीजक की दो प्रतियां, अर्थात एक प्रति उस व्यक्ति को जिसने निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत किए हों को और दूसरी प्रति को सीधे ही भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० को लौटाएंगे।

19. निर्यात की तिथि से 15 दिनों के भीतर निर्यातक, भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० के उसी कार्यालय के समक्ष निर्धारित प्रपत्र एवं विधि के अनुसार सोने के निहाई के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करेगा जिसने बिल पर पृष्ठांकन किया था और उसके साथ सीमा-शुल्क द्वारा साक्ष्यांकित बीजक, सीमा-शुल्क द्वारा अधिप्रमाणित पोत परिवहन बिल और मूल बैंक प्रमाण-पत्र भी संलग्न करेगा जिसमें दस्तावेजों के समझौते और उस हवाई उड़ान संख्या के साक्ष्य होंगे जिससे माल का निर्यात किया गया था, दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात् भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० निर्यातक को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा लदान बिल पर यथा प्रमाणित निर्यातित आभूषण के विनिर्माण में उपयोग किए गए सोने की मात्रा तक ही सोने की निहाई की स्वीकृति प्रदान करेगा।

20. जारी किए जाने वाले शुद्ध सोने की मात्रा की गणना करने के लिए, भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, निर्यातित मदों की सोने की मात्रा के भार को निम्नलिखित में से जो भी उचित हो से गुणा करेगा, जैसाकि उस सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया है जिसने निर्यात की अनुमति दी थी :—

(1) यदि घोषणा कैरेट्स में है तो उनके कैरेट को 24 से विभाजित करके

अथवा

(2) यदि घोषणा शुद्धता में है तो उसकी शुद्धता से शुद्ध सोने के इस प्रकार परिगणित आंकड़े एक ग्राम के 10वें भाग के लगभग तक गिने जाएंगे। किसी भी प्रकार के अवशेष भाग के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।

21. जहां निर्यात आदेश भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० द्वारा सीधे ही लिया गया था और निर्यात उनके द्वारा स्वयं किए गए थे वहां निर्यातित मदों में उपयोग में लाई गई सोने की

मात्रा भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० द्वारा जिस मात्रा तक वह अधिक्रम है उस सम्बन्ध में स्वयं सन्तुष्ट होने के पश्चात् प्रतिपूर्ति के लिए रिकार्ड कर ली जाएगी।

स्वर्ण नियंत्रण कानून का लागू होना

22 भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० प्रत्येक निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए आयातित सोने का प्रेषणवार, प्रभावित निर्यात और ऐसे निर्यातों के मद्दे रिहा किए गए सोने की मात्रा का पूरा लेखा रखेगा। प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने पर अर्थात् 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर, 1980 और 31 मार्च को भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य मंत्रालय और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को आयातित सोने की कुल मात्रा प्रभावित निर्यात में उपयोग की गई सोने की कुल मात्रा और इस प्रकार प्रभावित निर्यातों के मद्दे प्रतिपूर्ति के रूप में रिहा की गई सोने की कुल मात्रा दर्शाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास निष्पादित बांड के अन्तर्गत अपने आभारों की रिहाई प्राप्त करने के लिए सम्बन्द्ध सीमा-शुल्क समाहर्ता को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वह प्रविष्टि बिल संख्या, जिसके मद्दे संविदा के निष्पादन के लिए सोना आयात किया गया था, आयात की तिथि, आयातित सोने की मात्रा, उन प्रत्येक पोतलदान बिलों की संख्या जिनके मद्दे आभूषणों/मदों का अनुरूप पोतलदान किया गया था, निर्यातित मदों का ब्यौरा और सम्बद्ध सीमा-शुल्क समाहर्ता द्वारा यथा सत्यापित प्रत्येक पोतलदान बिलों के सम्बन्ध में सोने की मात्रा आदि को दर्शाया जाए। ऐसे आवेदनपत्र विशेष संविदा या सोने के विदेशी सभरक के पास सगत संविदा में निर्धारित अवधि की समाप्ति इनमें जो भी पहले हो के मद्दे सभी आभूषणों/मदों के पोतलदान के पूर्ण होने के तुरन्त बाद ही बांड को रद्द करने के लिए देने होंगे। ऐसे मामलों में जहां आभूषणों/मदों का कोई भी पोतलदान उस सीमा-शुल्क कार्यालय से भिन्न कार्यालय द्वारा किया गया हो जिसके माध्यम से अनुरूप आयातप्रभावी किया गया था तो भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० बांड को रद्द करने के लिए अपने आवेदनपत्रों के साथ उस सीमा-शुल्क कार्यालय के माध्यम से प्रभावी किए गए निर्यातों के मद्दे लदान बिल की प्रतियों को भेजेगा जो ऐसे सीमा-शुल्क कार्यालय से भिन्न होगा जिसके माध्यम से सोने का आयात किया गया था। आगामी अनुपूरक प्रक्रिया, निरीक्षण तथा अनुदेश यदि कोई होंगे तो ये सम्बद्ध सीमा-शुल्क समाहर्ता द्वारा भेजे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० समाहर्ताओं के साथ सम्पर्क बनाए रखेगा।

23 इस योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण लेन-देन स्वर्ण नियंत्रण नियम की सभी व्यवस्थाओं के अधीन होगा।

24. भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० की निम्नलिखित शाखाएं हैं, जो योजना के अनुसार स्वर्ण की रिहाई करेंगी :

(1) महा प्रबन्धक, भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, 11-ए, राउज एवेन्यू लेन, लोक कल्याण भवन, नई-दिल्ली-110002।

(2) शाखा प्रबन्धक, भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, 11वीं मंजिल, निर्मल बिल्डिंग, नारीमन प्वाइंट, बम्बई।

(3) शाखा प्रबंधक, भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, 10वीं मंजिल, 6/ए, राजा सुबोध मलिक स्क्वायर, कलकत्ता

(4) महा प्रबंधक भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०. सुदर्शन बिल्डिंग 16/1 व्हाइट्स रोड मद्रास।

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No.39--ITC(PN)/80

New Delhi, the 14th October, 1980

Subject: Import Policy for April, 1980--March, 1981 Scheme for Export of Gold Jewellery against gold supplied by the foreign buyer.

F.No. 12/4/78. EPC(Vol. II) : Attention is invited to the Import Policy for April, 1980—March, 1981, Published under the Department of Commerce Public Notice No. 9-ITC (PN)/80 dated the 15th April, 1980.

2. The following amendments shall be made in the said Import Policy at the appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import Policy 1980-81	Reference	Amendments
1	2	3	4
1	32	Chapter 17 Registered Exporters para 161	The existing para 161 shall be renumbered as sub-para 161(1), and the following new sub-para shall be inserted thereafter :— "(2) A new scheme called the "Scheme for Export of Gold Jewellery against gold supplied by the foreign buyer" has been notified vide Public Notice No. 39-ITC(PN)/80 dated 14-10-1980. The details of the Scheme are given in Appendix 31."
2	207	Appendix 30	After Appendix 30, a new Appendix 31, as per annexure to this Public Notice, shall be inserted.

3. This Public Notice shall be effective from the date of its issue.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports and Exports

(Annexure to Public Notice No 39—ITC(PN)/80 dated 14-10-1980)

APPENDIX 31

Subject :—Scheme for export of gold jewellery against gold supplied by the foreign buyer.

Export of gold ornaments and articles (other than coins) as defined in the Gold (Control) Act, 1968, will alone be allowed under the Scheme. Such ornaments and articles when studded will also be permitted to be exported under the Scheme. The items for export should be made of gold of purity not less than 9.5833 fineness which corresponds to 14 carats.

2. The scheme will apply to the export orders received by Handicrafts and Handlooms Export Corporation, New Delhi either directly or through their eligible associates.

3. The following categories of persons holding valid dealer's licence under the Gold law will only be allowed to operate as eligible associates of Handicrafts and Handlooms Export Corporation for the purpose of the scheme :—

(i) Registered Exporters having valid Registration Certificates issued to them by the Gem and Jewellery Export Promotion Council ;

(ii) Cooperative Societies of certified goldsmiths; and

(iii) Corporations owned or controlled by Government holding Export House certificates issued by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

4. The Gem and Jewellery Exports Promotion Council will keep the particulars of the identification marks, if any of its Registered Exporters under the Hall Marking Scheme of the Indian Standards Institution. But it would not be obligatory on the part of its Registered Exporters to follow the Hall Marking Scheme until further orders.

Scope of the Scheme

5. The Scheme provides for export of gold ornaments and articles against gold supplied, free of charge, in advance by the foreign buyer concerned, to the extent of the quantity of the gold used in the manufacture of the items to be exported. Export orders should, therefore, provide for the supply of gold; free of charge by the foreign buyer to the extent required. Such gold should be received, in any case, before the export of ornaments or articles is allowed. Export orders should provide for payment of manufacturing and other costs involved, either by means of an irrevocable letter of credit, or payment on cash-on-delivery basis, or advance payments in foreign exchange received through the authorised dealer (Bank). The documents should be negotiated through an authorised dealer in foreign exchange only. The export order should relate to the single buyer overseas, although it may cover more than one item of export.

6. A minimum value added of 15 per cent over the value of the gold content will be insisted upon in respect of exports made under the scheme. The value added will be calculated with reference to the value of the gold content in the items exported, at the price notified by Handicrafts and Handlooms Export Corporation, New Delhi as the price of gold, at the beginning of each month. For example, if the fob value of the items to be exported is Rs. 100 the value of the gold calculated at the notified price should be Rs. 187 or less. In the case of studded items, the total value of the gold and other items, namely, stones, gems, pearls and other precious metals, if any, used in the manufacture of the items exported, should be Rs. 87 or less.

7. Exports made under the scheme will not be eligible for any other incentive.

8. The Handicrafts and Handlooms Export Corporation of India Ltd., New Delhi (HHEC) has been nominated as the authority to operate the scheme. The export orders against which exports will be allowed will be those as are received directly by this agency or through their eligible associates.

Import of gold under the Scheme

9. The imported gold shall be clear through the customs authorities only by the said nominated agency i.e. HHEC either on their own behalf where the export orders are received by them or on behalf of their eligible associates, where the orders have been received through such associates. In the latter case, the exporter shall have to authorise the HHEC to act as its agent to file the Bill of Entry and clear the imported gold from the Customs as also to file the relevant shipping Bill for making the corresponding exports through the customs.

10. Import of pure gold under the scheme will be allowed by the customs authorities to the designated agency i.e. HHEC on the basis of an exemption order, whether general or specific, issued by the Reserve Bank of India, for the purpose of the scheme. In respect of each consignment of imported gold, HHEC will execute before clearance a bond with the customs authorities undertaking to export gold equivalent to the entire quantity of the imported gold as input in the finished gold jewellery or articles, wihin the period stipulated in the contract or within such further time as may be allowed by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, and to pay customs duty leviable on that quantity which is not proved to have been exported. In the case of export orders received by the eligible associates of the HHEC, it will be for the HHEC to secure corresponding guarantees from their such associates separately, to ensure compliance with contractual obligations.

11. The HHEC shall be required to deposit the imported gold in Government of India Mint at Bombay or Calcutta either on the same day on which the gold is cleared through the customs or, at the latest, by the following day, and to obtain a proper receipt from the Mint authorities. Since Mint facilities exist only at Bombay and Calcutta, the gold imported under this scheme should be allowed to be imported only at these two places. The imported gold will be converted by the Mint into standard bars of .995 purity. The corresponding exports will be allowed by the customs authorities only on their satisfaction on the basis of the Mint receipt that the required quantity of gold used in the manufacture of the items sought to be exported, was received by the Government of India Mint.

Export of gold ornaments etc. under the Scheme.

12. The articles to be exported under the scheme will be manufactured out of the gold procured from the domestic market. After the exports have been made, and the gold content used in the exported items verified, the HHEC will obtain the requisite quantity of gold, from the Mint for being used as replenishment for the gold used in the items exported, in the manner explained separately in this Public Notice.

13. Exports under the Scheme will be allowed only by air-freight and through the customs houses at Bombay, Calcutta, Madras and Delhi.

14. Where the export order is received by the HHEC directly in its own name, the shipping bill for the relevant exports will be filed by the HHEC in its own name as required under the customs regulations. In cases where the export order has been received through the eligible associates of the HHEC, the shipping bill for the relevant exports will be filed in the name of HHEC on account of the concerned associates whose name and address will also appear on the shipping bill. Such shipping bills shall also contain and endorsement by HHEC certifying that the exports is being made against an order received through the concerned associate and registered with HHEC giving also the date on which it was registered with them and certifying that the gold for the execution of the exporter order, in question, was duly received from the foreign buyer and deposited in the Government of India Mint on the date (to be specified) Before making the endorsement, the HHEC will satisfy itself about the quantity of gold used in the manufacture of items to be exported and the minimum prescribed value added. Such endorsements may be made only by the designated officers of HHEC whose signature will be deposited with the Customs before hand for verification.

15. The shipping bill should, inter alia, contain the exporter's declaration about the weight and the purity of gold used in each item to be exported, and the fob value of the items to be exported, name of the Custom House through which corresponding import of gold was effected, the Bill of Entry and the date of clearance of gold supplied by the foreign party. An extra copy of the shipping bill should also be furnished. However, in cases where shipments are made through a Custom House other than the Custom House through which the corresponding import of gold was effected, two extra copies of the Shipping Bill should be filed for being sent by the Custom House after shipment of the goods to the Custom House through which the corresponding import was made, for reference at the time of cancellation of the bond. (If the purity of gold used is the same in respect of all or some of the items to be exported, the exporter may give the total weight of gold and the total value of

such items as are of the same purity, instead of giving their details itemwise). In the case of studded items, the shipping bill should show, in addition to gold content as above, the description/weight/value of the stones/gems/pearls used in their manufacture, as well as weight/value of any other precious metals used for alloying gold.

16. Each shipping bill as endorsed will be valid for exports made only through the customs houses located at the place where the HHEC's office which made the endorsement is situated. It will be valid for shipment for a period of seven days from the date of the endorsement by HHEC, excluding, however, the date on which the endorsement was made. If the exports cannot be made within this period, the exporter should file a fresh shipping bill. No extension in the period of shipment will be allowed in respect of any shipping bill.

17. At the time of export, the exporter shall present to the concerned customs authority, along with the shipping Bill, three copies of the connected invoices as well as other documents as may be required by the customs. Before allowing the export, the said authority will, inter alia :—

(i) do the necessary checks to verify that the weight and the purity of gold used in each item for export is as per the exporter's declaration in the said documents ; and

(ii) satisfy itself that the export value (minus the cost of gold) declared by the exporter is in accordance with the Customs Act and the Foreign Exchange Regulation Act.

18. The weight and purity of the gold content of the items so passed for export will be verified by the customs authority on the relevant shipping bills. The customs authority will also attest the connected invoices and return two copies of the shipping bill and the connected invoices—one copy to the person who presents the export documents and the other copy to the office of HHEC directly.

19. The exporter shall, within 15 days from the date of export, submit to the same office of HHEC which endorsed the shipping bill, an application in the prescribed form and manner for release of gold and attach thereto the customs attested invoice, customs authenticated shipping bill and the bank certificate in original evidencing the negotiation of documents and the flight number by which the cosignment was exported. The HHEC, will, after verifying the documents, release the gold to the exporter to the extent of the gold used in the manufacture of the jewellery exported as certified by the customs on the shipping bill.

20. For the purpose of calculating the quantity of gold to be issued, the HHEC will multiply the weight of the gold content of the exported item, as certified by the Customs authority which allowed the export, by the following whichever is appropriate :—

(i) Their caratage divided by 24, if the declaration is in carats ; or

(ii) Their fineness if the declaration is in fineness.

The figure of pure gold so calculated will be rounded to the nearest 10th of a gramme. No allowance will be allowed for any wastage.

21. Where the export order was secured directly by HHEC and the exports were made by them on their own, the quantity of gold used in the items exported will be taken by HHEC on its records for replenishment after having satisfied itself with respect to the quantity to which it is entitled.

Applicability of Gold Control Law.

22. The HHEC shall maintain a complete account consignment-wise of the gold imported for execution of each export order, the exports effected and the quantity of gold released against such exports. At the end of each quarter viz. 31st December, 1980 and 31st March, 1981 the HHEC shall submit a report to the Reserve Bank of India, Ministry of Commerce and the Chief Controller of Imports and Exporters indicating the total quantity of gold imported, the total quantity of gold used in exports effected and the total quantity of gold released as replenishment against exports thus effected.

In order to get a discharge of its obligations under the bond executed by it with the Customs authorities the HHEC will furnish to the concerned Collector of Customs a statement indicating the Bill of Entry No against which gold was imported for execution of the contract, date of importation, quantity of gold imported, number of each of the Shipping Bill against which corresponding shipments of ornaments/articles were made, description of the goods exported and the gold content in respect of each Shipping Bill as certified by the concerned customs authorities. Such applications for the cancellation of bond will have to be made immediately after the completion of the shipment of all the ornaments/articles to be exported against a particular contract or the expiry of the period of export stipulated in the relevant contract with the foreign supplier of gold, whichever is earlier. In cases where any of the shipments of ornaments/articles are made though a Custom House other than the one through which the corresponding import of gold was effected, the HHEC, with their application for cancellation of the bond, will also furnish copies of the Shipping Bills against which exports are effected through Custom House other than the one through which the gold was imported. Further details of supplementary procedures checks and instructions if necessary would be furnished by the Collector of Customs concerned. HHEC would for this purpose, get in touch with the Collectors.

23. The entire transactions under the Scheme will be subject to all the provisions of the gold control law.

24. The following of the branches of HHEC will release gold in accordance with the scheme :—

(i) The General Manager, HHEC of India Ltd., 11-A, Rouse Avenue Lane, Lok Kalyan Bhavan, New Delhi-110002

(ii) The Branch Manager, HHEC of India Ltd., 11th Flor, Nirmal Building, Nariman Point, Bombay.

(iii) The Branch Manager, HHEC of India Ltd., 10th Floor, 6/A Raja Subodh Mullick Square, Calcutta.

(iv) The General Manager, HHEC of India Ltd., Sudarshan Building. 16/1 Whites Road, Madras.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980